न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः—श्री रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः—396 / 2017

प्रार्थीगणः—

1. रूगाराम पुत्र श्री दलाराम
2. फुलाराम पुत्र श्री दलाराम
   जाति जाट निवासी मोटानियानगर,
   तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगणः—

1. रूगनाथराम पुत्र श्री बगताराम
2. हुक्माराम पुत्र श्री बगताराम
3. गोकलराम पुत्र श्री अमानाराम
4. भीखाराम पुत्र श्री आसुराम
5. हरकाराम पुत्र श्री आसुराम
6. धनाराम पुत्र श्री आसुराम
7. चन्द्राराम पुत्र श्री अचलाराम
8. मांगीलाल पुत्र श्री पदमाराम
9. मालाराम पुत्र श्री पदमाराम
10. पोकरराम पुत्र श्री पदमाराम
11. अणमालराम पुत्र श्री किस्तुराराम
    जातियान जाट निवासी ग्राम जाटों की ढाणी हड़मानसागर
    तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

उपस्थित —

प्रार्थीगण — **अधिवक्ता श्री राजेन्द्र चौधरी**

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से **अधिवक्ता श्री घेवरराम विश्नोई।**

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner

निर्णय

दिनांकः– 7/8/19

प्रार्थीगण द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि :–तहसील ओसियां के ग्राम जाटों की ढाणी हड़मानसागर की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 426/1 रकबा 110 बीघा भूमि प्रार्थीगण के नाम से खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा आई हुई है। उक्त भूमि के दक्षिणी तरफ खसरा नम्बर 426/3 रकबा 37 बीघा 02 बिस्वा व खसरा नम्बर 423 रकबा 54 बीघा भूमि अप्रार्थीगण के नाम की खातेदारी की व कब्जा काश्त सुदा आई हुई है। उक्त भूमि से आगे लाखेटा से बापिणी डामर सड़क आयी हुई है। उपरोक्त वर्णित प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु सड़क मार्ग से अप्रार्थीगण की भूमि में से कदीमी रास्ता चलता है जिसे नजरी नक्शे में मार्क ए बी सी से दर्शाया गया है इसके अलावा प्रार्थीगण की भूमि में आने–जाने के लिये दुसरा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अप्रार्थीगण ने हाल ही में उक्त रास्ते को अवरूद्ध व बन्द करने पर आमादा है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा किन्तु उक्त रास्ते का मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं हुआ इसलिए प्रार्थीगण न्यायालय हाजा में उक्त रास्ता तय करने एवं राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहे है। प्रार्थीगण को उक्त सड़क मार्ग के रास्ते से अप्रार्थीगण की भूमि के अन्दर 20 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण की भूमि तक तय किया जाकर राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज किया जावें। प्रार्थीगण विधि अनुसार एवं डी.एल.सी. की असिंचित भूमि की दर के अनुसार रास्ते की भूमि का प्रतिकर न्यायालय द्वारा अवधारित करने पर अदा करने के लिए तैयार है। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में रहवासीय ढाणी बनी हुई है तथा सिंचित भूमि है। कटाण के रास्ते से प्रार्थीगण की भूमि में खाद बीज व अनाज एवं चारा आदि की झाले व ट्रक आने–जाने के लिए 20 फुट चौड़े रास्ते की आवश्यकता है। जिससे कि ट्रक व चारे की झाले आसानी से आ जा सके एवं आवागमन में कोई असुविधा नहीं हो। प्रार्थीगण को उक्त रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है एवं नजरी नक्शे में दर्शाया गया रास्ता लघुतम व निकटतम रास्ता है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि न्यायहित में सड़क से उपरोक्त वर्णित

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner

खातेदारी भूमि में प्रार्थीगण को आने–जाने हेतु रास्ता अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 426/3 व 423 में से नजरी नक्शे में दर्शाए गये लाल रंग से मार्क ए बी सी तक 20 फुट चौड़ा रास्ता मंजूर किया जाकर रेकर्ड में रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश फरमावें।

यह है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया अन्य अप्रार्थीगण अनुपस्थित इनकी ओर से कोई हाजिर नहीं। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

भू–अभिलेख निरीक्षक मतोड़ा से मौका फर्द तलब की गई। मौका फर्द दिनांक 09.07.2019 को तैयार की जाकर मय नजरी नक्शा न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

यह है कि बहस पक्षकारान अधिवक्ता की सुनी गई बहस पर मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि नजरी नक्शे में बिन्दू ए से बी प्रार्थीगण द्वारा रास्ता चाहा गया है बिन्दू सी से डी मौके पर रास्ता चालु है। नजरी नक्शे अनुसार ए से बी की दूरी सी से डी से अधिक है। जिससे यह स्पष्ट है कि मौके पर वैकल्पिक रास्ता मौका फर्द में मार्क सी से डी चल रहा है। जिस पर प्रार्थीगण द्वारा यह सहमति जाहिर की कि वैकल्पिक रास्ता मार्क सी से डी चलता है वहीं पर प्रार्थीगण को रास्ता दे दिया जावें। इस प्रकार जहां वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीगण के पास उपलब्ध है वहीं से प्रार्थीगण रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी है। जब तक प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है तब तक अप्रार्थीगण की भूमि में से रास्ता प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। वैकल्पिक रास्ता मौका रिपोर्ट में मार्क सी से डी से ही प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

सहायक कलक्टर, कोटपुतली

Scanned by CamScanner

—::आदेश::—

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौका रिपोर्ट में वर्णित वैकल्पिक रास्ता सी से डी जो चल रहा है वहीं से रास्ता दिये जाने की घोषणा की जाती है। तहसीलदार बापिणी मौका फर्द में वर्णित वैकल्पिक रास्ता सी से डी जहां चल रहा है उन्हीं खसरों में से रकबा निर्धारित किया जाकर दर्ज गिरदावरी अनुसार तथा मौके की स्थिति अनुसार निर्धारित डी. एल.सी. की दर से दो गुना प्रतिफल खातेदारान को दिलवाया जाकर नया रास्ता दर्ज किया जाकर नक्शा ट्रेस में तरमीम की जावें। जिसके बाबत् तहसीलदार बापिणी को लिखा जावें, मौका फर्द रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 7/01/19 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned by CamScanner